Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

सुनवाई तिथि-22-12-2025 की नोटिस

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 22 December 2025 at 08:13
To: SWATANTRA PRAKASH <hearingcourts6.upic@up.gov.in>
Cc: eonppmirzapurm-up <eonppmirzapurm-up@nic.in>, mirzapurnpp <mirzapurnpp@gmail.com>

To: The Hon'ble State Information Commissioner, Court Room S-6, U.P. Information Commission, Lucknow. **Appeal No:** A-20240700674 **Appellant:** Yogi M P Singh

Subject: Written Statement regarding the deliberate bypassing of the Autonomous Municipality of Mirzapur by the State Government.

Respected Sir,

The appellant wishes to place the following critical facts regarding the administrative irregularity in the lease of 62,606 sq. ft. of land to the Lions Club:

1. **The Autonomy of the Municipality:** The Municipality of Mirzapur City is an autonomous body. It is the rightful owner/custodian of the land and specifically **refused to extend the lease** due to violations of terms by the leaseholder (Lions Club).

2. **Illegal Government Overreach:** The Government of Uttar Pradesh (Nagar Vikas Vibhag) has unfortunately bypassed the decision of the Municipality. By extending the lease for 30 years (until 2040) against the express wishes of the local body, the State Government has encroached upon the independent powers of the Municipality.

3. **Irrelevance of Local Transfers:** The PIO, Nagar Vikas Vibhag, Lucknow, has recently transferred this RTI to the Tehsildar and DM Mirzapur. **This is a diversionary tactic.** Since the Tehsildar was never a party to the lease and the Municipality's own proposal was ignored by the State, the documents and "Reasons" for this extension exist **only within the Secretariat files in Lucknow.**

4. **Information Sought is State-Centric:** My RTI seeks the internal communications of the **State Government** (Nagar Vikas Vibhag) that justify:

    - Why the Municipality's proposal to cancel the lease was superseded.
    - On what legal grounds the State Government extended a lease for land it does not directly manage, and that too at a nominal fee of **₹50 per year**.

Prayer: The appellant prays that the Commission **rejects the PIO's attempt to shunt the responsibility** to the Tehsildar. The Commission is requested to direct **Shri Ravindra Singh (PIO/Under Secretary, Nagar Vikas Vibhag, Lucknow)** to personally explain how and why the Secretariat bypassed an autonomous body to benefit a private club, and to provide the file notings (Points 1-6) immediately.

Faithfully, Yogi M P Singh Date: 22/12/2025

[Quoted text hidden]

Lions school.pdf
1091K

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया

जनपद– मीरजापुर

पत्रांक : 779 /सा0 प्र0/2023–24 दिनांक 13/12/23

विषय :जनसुनवाई सन्दर्भ सं0– 60000230237584 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया श्री एम0पी0 योगी निवासी मुहल्ला सुरेखा पुरम कालोनी श्री लक्ष्मी नारायण बैकुन्ठ महादेव मन्दिर रीवा रोड पोस्ट आफिस संगमोहाल मीरजापुर के द्वारा शिकायत की गयी है कि मुहल्ला लालडिग्गी स्थित लायन्स स्कूल को नगरपालिका द्वारा गरीब बच्चों के लिए उद्यान विकसित करने हेतु भूमि लीज पर दी गयी थी परन्तु यहां पर एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो एक व्यवसायिक गतिविधि है। नगरपालिका की जमीन रूपया 50/– प्रति वर्ष की दर से आवंटित की गयी है जबकि लायन्स स्कूल की आमदनी खरबों में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मुहल्ला लालडिग्गी, मीरजापुर में पालिका भूमि स्थित है जिसका एक पार्ट लगभग 12000 स्क्वायर फिट की जमीन लायन्स क्लब, मीरजापुर को लायन्स स्कूल का संचालन एवं एक उद्यान क्षेंत्रीय बच्चों हेतु पालिका द्वारा आवंटित थी जिसकी अवधि वर्ष 2008 में समाप्त हो चुकी है। चूँकि लायन्स क्लब मीरजापुर/लायन्स स्कूल के द्वारा पालिका से हुये समझौते के तहत कार्यवाही न करने आदि कारणों से नवीनीकरण पालिका द्वारा नहीं किया गया। पालिका द्वारा उक्त सम्पत्ति पर कब्जा आदि की वापसी हेतु उनको कई नोटिसें निर्गत हुयी हैं किन्तु लायन्स स्कूल के द्वारा प्रकरण को लेकर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका दाखिल की गयी है जो अभी अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय आते ही उसके अनुरूप कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। वर्तमान समय में कोई कार्यवाही पालिका स्तर से अपेक्षित नहीं है।

भवदीय,

13/12/23

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद,

मीरजापुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर

पत्रांक 412/सा0 प्र0/2020-21 दिनांक-09-12-2020

सेवा में,
योगी एम0पी0 सिंह
सुरेखापुरम् जबलपुर रोड
संगमोहाल, मीरजापुर
पोस्ट-आफिस
पिन- 231001

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0त्र गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7 लखनऊ के आदेश पत्र सं0- 9/6016/12/जन सूचना अधिकारी/2019 लखनऊ दिनांक 06.11.2020 के साथ संलग्न अपने पत्र दिनांक 23.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में वांछित सूचना निम्न है :-

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	लायंस स्कूल का निर्माण मिर्जापुर नगरपालिका की जमीन में हुआ है और जिसका आय प्रति मन्थ करोड़ों का है और बहुत से सफेदपोश व भ्रष्ट लोक सेवकों के जेब भरने का काम करता है। श्रीमान् जी पिछले कई वर्षों से लीज समाप्त होने के बावजूद वहाँ नये निर्माण हुए अर्थात कालेज प्रबन्ध तन्त्र उसे अपनी सम्पत्ति समझता है और इस तरह से लोक सम्पत्ति का दोहन कर रहा है। प्रदेश सरकार का मुखौटा तो बदला लेकिन कार्यशैली वही है, बल्कि और खराब हो गयी है।	मोहल्ला लालडिग्गी स्थित पालिका भूमि को लायंस क्लब को 30 वर्ष के लिए लीज पर वर्ष 1960 में स्कूल एवं आम जनता के बच्चों हेतु शिशु उद्यान के निर्माण व उसके देख-भाल हेतु किराये पर दी गयी थी। इस लीज की अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो गयी। लायंस स्कूल के द्वारा लीज की शर्तों के विपरीत कार्य किया गया। लीज की अवधि के दौरान न तो शिशु उद्यान का निर्माण किया गया और न ही आम जनता के च्चों के लिए खोला गया तथा अवैध निर्माण किया गया। लीज की अवधि वर्ष 2010 में समाप्त होने के बाद ही लायंस क्लब/स्कूल के द्वारा अवैध निर्माण किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर पालिका जमीन से लायंस क्लब/स्कूल का कब्जा लिये जाने हेतु पालिका बोर्ड बैठक में दो-दो बार प्रस्ताव पास हुआ जिसकी सूचना नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को दी गयी, किन्तु शासन के द्वारा लायंस क्लब/स्कूल की अवधि 30 वर्ष के लिए वर्ष 2040 तक बढ़ा दी गयी, जिसके खिलाफ नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0- 2456 सन् 2020 लायंस क्लब बनाम नगरपालिका परिषद, मीरजापुर उ0 प्र0 व अन्य योजित किया गया जो अन्तिम निर्णय हेतु अभी लम्बित है। जहाँ तक लायंस क्लब द्वारा बच्चों के अभिभावकों से एडमिशन के नाम पर डोनेशन के रूप में धन वसूली का कार्य किया जा रहा है, यह उचित नहीं है, किन्तु इसका सम्बन्ध नगरपालिका परिषद, मीरजापुर से नहीं है।
2	श्रीमान् जी आप भी जानते ही होंगे कि प्रकरण जो कि मीरजापुर के प्रतिष्ठित लायंस पब्लिक स्कूल जो मीरजापुर के जाने माने धनाढ्यों का जेब भरने का काम कर रहा है, से सम्बन्धित है। उसको प्रश्रय सम्बन्धित अधिकारी ही दे रहे हैं अन्यथा बाकायदा टेण्डर इनवाइट करके लीज सबसे बड़े बिल्डर को दी जाती है और सरकार को उससे लाभ होता। श्रीमान् जी के नजरों में क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। पब्लिक प्रापर्टी का दोहन सम्भ्रान्त धनाढ्यों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से किया जा रहा है। श्रीमान् जी कक्षा 9 रू0 20000/- प्रवेश शुल्क और कक्षा 8 का रू0 10000/- कुछ एप्रोच हुआ तो हजार-दो हजार रुपये कम कर देंगे।	

भवदीय,
8/12/20
(ओम प्रकाश)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
मीरजापुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, जनपद- मीरजापुर।
3- एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली में।

(ओम प्रकाश)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
मीरजापुर।

To

District Inspector of School
District-Mirzapur, PIN Code-231001

Subject-To cancel the recognition of the Lions school at Laldiggi Mirzapur as its land taken from the municipality Mirzapur city by cheating them quite obvious from the attached communication dated 09/12/2020 Letter number-412 financial year 2020-21 of the executive officer municipality Mirzapur city Mr. Om Prakash.

1-It is submitted before the Honourable Sir that The matter concerns the Lions School managed by a club of rich people known as Lions club located at Laldiggi District Mirzapur, Uttar Pradesh and made on the Land of municipality Mirzapur city charging huge admission fee range between Rs.20000 to Rs.30000.

2-It is submitted before the Honourable Sir that DIOS Mirzapur justifying this huge fee on the ground that it is being charged from the students for three years. Think about the integrity of such DIOS.

3-It is submitted before the Honourable Sir that Land of municipality taken by the Lions club which is club of rich people in the name of children garden for the common children.

4-It is submitted before the Honourable Sir that since the date lease of land was done forty years passed in 2010 but neither children garden was developed nor opened for common children.

5-It is submitted before the Honourable Sir that factual position is that Lions club is carrying out commercial activities in the land, not allowed to lease holder, by taking concerned officers in good faith.

6-It is submitted before the Honourable Sir that municipality Mirzapur city is an autonomous body and it did not provide the land to open the commercial school and construct buildings so how can government recognize such school which is illegal consequently its affiliation must be cancelled in the interest of justice?

Please take action abruptly under intimation to applicant and adopt logistic approach.

Date-27/08/2021

Yours sincerely

Yogi M. P. Singh

Yogi M. P. Singh

Mobile number-7379105911, Mohalla- Surekapuram, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar Pradesh, Pin code-231001.

कर अधीक्षक/कर निर्धारण अधिकारी

कृपया शिकायत संख्या - 60000220182753 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री मोती [illegible] मो० [illegible] मीरजापुर संचालित है, के अन्तर्गत मो० गनेशगंज स्थित पालिका भूमि पर पालिका द्वारा 1978 में अपनी भूमि पर 30 वर्ष के लीज पर लायन्स क्लब को दी थी, लायन्स क्लब द्वारा लायन्स स्कूल नामक विद्यालय खोलकर उक्त पालिका भूमि पर संचालित कर रही है, जिसकी अवधि वर्ष 2008 में समाप्त हो गयी है, इस दौरान लायन्स स्कूल के द्वारा पालिका भूमि पर गैर कानूनी तरीके से शर्तों के विपरीत निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था, जिस कारण, बोर्ड बैठक में उपरोक्त लीज का नवीनीकरण न करने व कब्जा वापस लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था, शासन के द्वारा उक्त लीज की अवधि को 30 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दी गयी है, जिसको लेकर प्रकरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई चल रही है, और अन्तिम निर्णय आने के पश्चात पालिका द्वारा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

शेष बिन्दु जैसे प्रवेश शुल्क के रूप में अत्यधिक धनराशि लायन्स स्कूल के द्वारा लिये जाने आदि पर कार्यवाही पालिका स्तर से अपेक्षित नहीं है, और न ही पालिका को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

अतः महोदय जी से अनुरोध है कि उपरोक्त आख्या को स्वीकार करते हुए प्रकरण स्वीकार कर निस्तारित करने का कष्ट करें।

[signature] 10-11-2022 [signature] 10-11-22 B M yadav 10-11-022

APPENDIX VI

CERTIFICATE OF LAND

File No................

Date 20-04-2019

Certified that land measuring **5816.24 SQ. Meter** (Area of land in Sq. meters) situated in **MIRZAPUR** (Plot No. (s)/Survey No. (s) Khasra No. (s), at **WEST ROAD, LAL DIGGI MIRZAPUR.** (Name of street/ village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter, is owned by **NAGAR PALIKA PARISHAD, MIRZAPUR** (Name of owner) in terms of Lease Deed (give details of document/ deed - i.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed or other document of title) dated **31.03.1980** executed by **Sub Registrar Mirzapur** Duly registered on **21.04.1980**.(date) at Serial No.**1264** in book no.**1.**, volume no **940** on page **134 to 140** (complete details of registration) in the **Office of Registrar Mirzapur** (details of registration office)..It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to. **LIONS CLUB** (name of lease) vide lease deed dated. **31.03.1980** for a period of **30** years duly registered on **21.04.1980** (date) at Serial No. **1264** in book no. **1**, volume no. **940** on page no. **134 to 140.** (complete details of registration in the **Office of Registrar Mirzapur** (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that **LIONS SCHOOL**, (WEST ROAD, LAL DIGGI, MIRZAPUR) . (Name of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring **5816.24 SQ. Meters** (area of land in square meters) situated in **MIRZAPUR** [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at **WEST ROAD, LAL DIGGI,MIRZAPUR** (name of street/ village, sub-division, district and state) and bounded as follows:

North :	**WATER WORKS DEPARTMENT.**
East :	**THE GANDHI PARK**
West :	**GOVERNMENT ROAD**
South :	**OFFICE NAGAR PALIKA PARISHAD MIRZAPUR.**

Officer (Non-gazetted)
(Affiliation Unit)
Central Board of Secondary Education
2, Community Centre, Shiksha ...
Preet Vihar, Delhi-110092

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AURHORITY WITH DESIGNATION

(Name of Officer)

(Name of District)

Note: Strike off whichever is not applicable.

20.4.19 उप निबन्धक
सदर-मीरजापुर

1266 200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

यह कि नगरपालिका मीरजापुर बज़रिये श्री विनोद कुमार मल्होत्रा प्रशासक नगरपालिका मीरजापुर प्रथम पक्ष, व लायन्स क्लब मीरजापुर बज़रिये रविभूषण अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय जयराम दास अग्रवाल अध्यक्ष लायन्स क्लब मीरजापुर द्वितीय पक्ष ।

यह द्वितीय पक्ष सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है जो जनपद मीरजापुर में निःस्वार्थपूर्ण ढंग से समाज सेवारत है। सेवार्थ सर्वजन हिताय एक शिक्षण संस्था (लायन्स स्कूल) तथा लायन्स पार्क नामक उद्यान बनाने हेतु शहर मीरजापुर में स्थित लालडिग्गी का मैदान जो संलग्न मानचित्र में पैमाइश के साथ प्रदर्शित है तथा सड़क के पूरब और गांधी पार्क मैदान तथा सब्जीमण्डी के पश्चिम स्थित है पट्टे पर प्रथम पक्ष से लेना चाहता है। और यह प्रथम पक्ष जिसके प्रबन्धन एवं स्वामित्व में उपरोक्त सम्पत्ति निहित है ने विधानतः स्वीकृति प्राप्त करके उक्त पट्टा मियादी तीस वर्ष निष्पादित करना स्वीकार कर लिया है। अस्तु निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध एवं अनुबन्धित होकर उसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत पट्टा विलेख स्वेच्छापूर्वक निष्पादित कर देते हैं। १- यह कि पट्टाशुदा उपरोक्त

Section Officer (Non-gazetted)
Central Board of Secondary Education
Preet Vihar, Delhi

0226 / 210

[illegible]

Rs. 150/-

1200

15.4.80

Ram Bhushan Agrawal

15 - 4 - 80

[illegible]

Having satisfied myself that this document has been executed by Sri V.K. Malhotra, D.M. Muzaffarnagar, & Prashasak, Nagar Palika, Muzaffarnagar in his official capacity, his attendance and signature are dispensed with and the deed is admitted to registration.

Ram Bhushan Agrawal. [signature]

[signature] 15.4.80

Officer (Non-gazetted) ... Unit) ... Central Board of Secondary ... Community Centre, Preet Vihar, Delhi

[signature] X

15 - 4 - 80

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

-: २ :-

भूखण्ड जिसका विवरण इस विलेख के तल में अंकित है और उसके कुछ अंश पर कतिपय अर्द्धनिर्मित भवन उक्त उपयोगी एवं जनहित कार्यों हेतु मुबलिग ५० रुपया पचास रुपया। वार्षिक किराया पर, लायन्स क्लब मीरजापुर को तीस वर्ष के लिये पट्टे पर एतद्द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है।

२- यह कि इस पट्टे की अवधि दिनांक ५-२-१९८० से आरम्भ होकर दिनांक ४-२-२०१० को समाप्त होगी। किन्तु यदि द्वितीय पक्ष चाहे तो पट्टे की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व लिखित पत्र द्वारा पट्टे की अवधि आगामी तीस वर्ष के लिये बढ़ाने हेतु आवेदन कर सकता है और उस स्थिति में प्रथम पक्ष के लिये यह लाजिम होगा कि अन्य बातें सामान्य रहने पर पट्टे का नवीनीकरण आगामी तीस वर्षों के लिये कर दे। इस प्रकार के विस्तृत अवधि में भी इस पट्टे की सभी शर्तें लागू होंगी। ३- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वार्षिक किराया के अतिरिक्त मुबलिग ५००० रुपया पांच हजार रुपया नजराना स्वरूप प्रथम पक्ष को इस पट्टे के निष्पादन के पूर्व अदा करेगा जो किसी भी स्थिति में रिफण्ड अथवा अग्रिमोजित नहीं होगा।

४- यह कि पट्टाशुदा सम्पत्ति पर मूल एवं अथवा नवीनीकृत अवधि तक मात्र

Section Officer (Non-gazetted)
(Affiliation Unit)
Central Board of Secondary Education
2, Community Centre, Shiksha Kendra
Preet Vihar, Delhi-110092

८२२८/२०१ [illegible]

[illegible] २०१२ ।

१/२२.३.८०

[illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रू. Rs100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

-: ३ :-

उक्त प्रयोजन हेतु द्वितीय पक्ष काबिज दखील रह कर ५० रुपया पचास रुपया वार्षिक किराया प्रतिवर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम प्रथम पक्ष को अदा किया करेगा जिसकी रसीद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के अध्यक्ष के हक में हस्ता किया करेगी। चूक होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि १ माह की नोटिस देकर पट्टा निरस्त कर दे और बकाया धनराशि द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति से वसूल कर लेवे एवं उसकी देयता द्वितीय पक्ष के अध्यक्ष एवं मन्त्री के उपर व्यष्टि एवं समष्टि रूप से रहेगी। ५- यह कि पट्टा शुदा सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष किसी को शिकमी पर नहीं उठायेगा और न ही जिस प्रयोजनार्थ यह पट्टा निष्पादित किया जाता है उस प्रयोजन से इतर किसी दूसरे प्रयोजन में प्रयोग किया जावेगा। वरना प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर व स्पष्टीकरण मांग कर पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ६- यह कि पट्टा शुदा सम्पत्ति पर कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठाकुर-द्वारा आदि द्वितीय पक्ष नहीं कायम करेगा और ना कोई धार्मिक मूर्ति ही स्थाई रूप से स्थापित करेगा। ७- यह कि पट्टेदारी अधिकार अथवा अवधि समाप्त होने पर जमीन को द्वितीय पक्ष सही एवं अच्छी हालत में छोड़ कर

[illegible]

[illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

-: ४ :-

उसका वास्तविक कब्जा तत्काल प्रथम पक्ष के हक मे हस्तानान्तरित कर देगा अन्यथा कब्जा हासिल करने मे जो कुछ खर्च प्रथम पक्ष करेगा वह धनराशि भी उक्त प्रस्ताव ४ के प्राविधानानुसार प्रथम पक्ष हर्जे रूप मे पाने का अधिकारी होगा अथवा अमला पट्टा रहने पर प्रथम पक्ष का उस पर अधिकार हो जावेगा एवं उसका कोई प्रतिकर पाने का अधिकार द्वितीय पक्ष को न होगा। ८- यह कि लायन्स क्लब मीरजापुर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कुल भूमि ६२६०६ वर्ग फीट बाहिक भाग २७३८ वर्ग फीट मे स्थित अर्द्ध निर्मित भवन को पूर्ण करे तथा शेष भाग २१०२६ वर्ग फीट मे निर्माण करे अथवा उसे व भवन को सभी जाति या समुदाय के लिये उपरोक्त जनहित कार्यों से सम्बन्धित उपयोग मे जिस प्रकार लाना चाहे ले आवे और चलावे इसमे जो कुछ व्यय होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लायन्स क्लब, मीरजापुर द्वितीय पक्ष पर होगा। ९- यह कि उपरोक्त भवन सम्बन्धित भूमि २३७६४ वर्ग फीट को छोड़कर जो भूमि ३८८४२ वर्ग फीट अवशेष रहेगी उस पर लायन्स क्लब, मीरजापुर द्वितीय पक्ष शिशु उद्यान का निर्माण अपने व्यय से करेगी तथा खेल कूद का उपकरण लगायेगी। इसके रख रखाव का पूरा

(Affiliation Unit)
Central Board of Secondary Education
Preet Vihar, Delhi-110092

[illegible]

[illegible]

[illegible]
২৮.৩.৮০

-: ५ :-

दायीत्व लायन्स क्लब, मीरजापुर द्वितीय पक्ष का रहेगा। नगरपालिका मीरजापुर इस हेतु जल आपूर्ति की व्यवस्था नि:शुल्क करेगी । १०- यह कि उक्त शिशु उद्यान सायंकाल से प्रतिदिन जनसाधारण के बच्चों की सैलो के लिये उपलब्ध रहेगा। उद्यान खुलने व बन्द होने का समय मौसम के अनुसार लायन्स क्लब के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे । ११- यह कि लायन्स क्लब मीरजापुर द्वितीय पक्ष पट्टे की अवधि के अन्दर पट्टे वाली भूमि व सम्पत्ति की देख-रेख रख-रखाव व संचालन नहीं करते और उसे उस ध्येय या उस उपयोग में नहीं लाते जिसके लिये पट्टा किया जाता है तो नगरपालिका मीरजापुर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा वापस ले ले। उपरोक्त कार्यवाही करने के पूर्व ६ माह की नोटिस द्वितीय पक्ष को देना आवश्यक होगा। अत: यह पट्टा कबूलियत महयादी तीस वर्ष स्वेच्छा पूर्वक लिखदिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे ।

पट्टा शुदा सम्पत्ति स्थित मुहल्ला लालडिग्गी शहर मीरजापुर की चौहद्दी :-

पूरब - गान्धी पार्क मैदान, पार्क रोड तथा नगरपालिका द्वारा संचालित सब्जी मण्डी,

पश्चिम- १६ फीट चौड़ा सड़क सरकारी,

उत्तर :- जल कल विभाग,

दक्षिण- नरसों का क्वॉर्टर ।

पैमाइश संलग्न मानचित्र में अंकित है जो इस पट्टे का जुज समझा जावेगा ।
नोट- पेज ३ के सतर ४ में अक्षर .... कटा है जो सही है।

तहरीर तारीख ३१ मार्च सन् १९८० ई०।
मसविदा किया श्री शिवप्रसाद गुप्ता एडवोकेट मीरजापुर।
शिव प्रसाद गुप्त एडवोकेट
टाइप किया हीरालाल आयशवाल साकिन महल्ला ...
पैटीशन राइटर लाइसेन्स नं० ५ । हीरालाल जायसवाल

Prem Bhushan Agrawal

सहायक नगर पालिका, मीरजापुर

Section Officer (Non-gazetted)
(Affiliation Unit)
2, Community Centre, Shiksha Kendra
Delhi-110092

सं० [illegible] भूमि [illegible] दिनांक 135 / 180 [illegible] 12.83 [illegible]

दि० 21 [illegible] 1/80 [illegible]